(भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं.11011-1/2011-रा.भा.ए. भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग राजभाषा यूनिट

शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक प्रस्तूबर, 2012

अधिस्चना

का.आ0...........केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम 4 के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के अंतर्गत, प. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर को ऐसे कार्यालय के रूप में, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:

्रिक्ट (अनन्त कुमार सिंह) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-II SECTION-III, SUB SECTION-II)

No.11011-1/2011-O.L.U
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
O.L.Unit

Shastri Bhavan, New Delhi Dated: 4 October, 2012

NOTIFICATION

S.OIn pursuance of sub rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use
for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Pt.
Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing
Jabalpur under the Ministry of Human Resource Development, (Deptt. of Higher Education) as
office, whose more than 80% members of the staff have acquired working knowledge of Hindi:

Joint Secretary to the Government of India

To,

The Manager, Government of India Press, Mayapuri, Ring Road, New Delhi